



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



अपेक्षित दस्तावेज

पत्रांक- २/३४ /12-1 :देहरादून: दिनांक: २४ फरवरी, 2025.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/11435/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र 8बी/यू०सी०पी०/०६/५४/२०१६/एफ०सी०/१५४९ दिनांक 26.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र 8बी/यू०सी०पी०/०६/५४/२०१६/एफ०सी०/१५४९ दिनांक 26.10.2018 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 3935/12-1 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्रं.	अनुपालन	आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.543 हे० ग्राम मौजा बिहार सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.543 हे० ग्राम मौजा बिहार सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि ₹ 12,65,696.00 मात्र की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में जमा करायी गयी है, चालान की प्रति (संलग्नक-1) संलग्न है। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण कर दिया गया है। प्रति संलग्न (संलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 एन०पी०वी० की धनराशि ₹ 14,92,047.00 मात्र पूर्व में जमा की गयी है, चालान की प्रति (संलग्नक-3) एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं०-5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की नई दरों अनुसार धनराशि ₹ 7,91,288.00 मात्र जमा कर दी गई है। (संलग्नक-4)

3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-5)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक-6)
6	State Govt. May submit/upload correct information of District profile in online Part-II at para 14 in Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा District Profile से सम्बन्धित सूचना को सही कर Online Portal पर upload कर दिया गया है।
7	State Govt. will submit the original/attested hard copy of Part-I to V to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।
8	State Govt. will submit the original hard copy of Geo-reference digital map of CA area which is duly C/S by DFO and upload the same at para 13 online Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA का Geo-reference digital map Online Portal पर यथा स्थान upload कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- २१३६ / 12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in

टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं० 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 3935 / 12-1

चकराता, दिनांक

04 जनवरी 2025

सेवा में,

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:-

जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक सं० 8बी/यु०सी०पी०/०६/ 54/2016/ एफ०सी०/1549 दिनांक 26.10.2018 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) एवं अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई, खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया की पत्र संख्या-1992/6 सी० दिनांक 27.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग पर, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं०-8बी/यु०सी०पी०/०६/ 54/2016/ एफ०सी०/1549 दिनांक 26.10.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या- 2658/12-1 दिनांक 27.01.2020 से आपको विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं० 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा करने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या 1268/12-1 दिनांक 20.09.2024 प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा गया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सन्दर्भित पत्र से एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा करते हुए एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त राशियों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र० सं०	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.543 है० ग्राम मौजा बिहार सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	अवगत कराना है कि प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.543 है० ग्राम मौजा बिहार सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु. 1265696.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में जमा करायी जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्नक-1) एवं उक्त की सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या - 2658/12-1 दिनांक 27.01.2020 से पूर्व में आपको प्रेषित की जा चुकी है पत्र संलग्न (संलग्नक-2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु० 1492047.00 पूर्व में जमा की जा चुकी है चालान की प्रति (संलग्नक-3) एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं०- 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की नई दरों अनुसार धनराशि रु० 791288.00 मात्र जमा कर दी गई चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-4)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)

सा० अ० दि० प्रभागीय वनाधिकारी

आ० का० का०

NEW 4238

15-2-2025

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

पत्रांक सं० 3828

दिनांक 12-1

19-02-25



4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge से सम्बन्धित वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-6)
6	State Govt. May submit/upload correct information of District profile in online Part-II at para 14 in Part II.	District Profile से सम्बन्धित सूचना को सही कर Online Portal पर upload कर दिया गया है।
7	State Govt. will submit the original/attested hard copy of Part-I to V to this office.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गई है।
8	State Govt. will submit the original hard copy of geo-reference digital map of CA area which is duly C/S by DFO and upload the same at para 13 online Part II.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि CA का Geo-reference digital map Online Portal पर यथा स्थान upload कर दिये गये हैं।

अतः महोदय उपरोक्त अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ सादर प्रेषित की उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 3935 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहिया को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty.Div., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1992/ 6सी-
सेवा में,

दिनांक 27/ 11 /2024

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग चकराता,
कालसी,

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

सन्दर्भ:- सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक सं० 8बी/यु०सी०पी०/०6/ 54/2016/ एफ०सी० /1549 दिनांक 26.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग में वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक सं० 8बी/यु०सी०पी०/०6/ 54/2016/ एफ०सी० /1549 दिनांक 26.10.2018 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्र सं० 2658/12-1 दिनांक 27.01.2020 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हुए प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं० 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि नई दरों से जमा की जानी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं० 1268/12-1 दिनांक 20.09.2024 द्वारा एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि का डिमांड नोट इस कार्यालय को प्रेषित। प्राप्त डिमांड के क्रम में एन०पी०वी० AD. HOC. CAMPA FUND के नाम जमा कर दी गयी है। उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है।

क्र० सं०	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.543 है० ग्राम मौजा बिहार सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 1757/12-1 दिनांक 04.12. 2018 में इंगित आवश्यक धनराशि रू० 1265696.00 मात्र पूर्व में जमा की जा चुकी हैं। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०- 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि जमा की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं० 1757/12-1 दिनांक 04.12. 2018 में इंगित आवश्यक धनराशि रू० 1492047.00 मात्र पूर्व में जमा की जा चुकी हैं। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं० 1268/12-1 दिनांक 20.09. 2024 द्वारा प्राप्त एन०पी०वी०

		की अवशेष धनराशि रू0 791288.00 मात्र जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	मान्य हैं। (वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	मान्य हैं।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।	मान्य हैं।
6	State Govt. May submit/upload correct information of District profile in online part-II at para 14 in Part II. second aid Pera 14 ine Part second	पूर्व में अपलोड है।
7	State Govt. will submit the original/attested hard copy of part-I to V to this office.	पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है।
8	State Govt. will submit the original hard copy of geo-reference digital map of CA area which is duly C/S by DFO and upload the same at para 13 online part II.	अपलोड किया गया है।

अतः उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

अधिशाली अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

Online payment history made by User Agency under CAMPA



	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
5/2015 D/11435/2015) announcement in dun Block Kalsi on of Road From an To Village Vihar	ROAD114352015185	6111435185	26 Oct 2018	CA: 1265696/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1492047/-, strip plantation : 0/- trip plantation : 0/- trip plantation : 0/- trip plantation : 0/- Total : 2757743/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 01 Jan 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 24 Oct 2019 On Transaction Date : 20 Nov 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/12112912321213EQOELpdf0 Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx? pid=ROAD114352015185)
FP/UK/ROAD/25766/2017 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/25766/2017) Yamunapul Hathipav to Faarsila MR	ROAD257662017277	6125766277	28 Aug 2018	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 262920/-, and afforestation of 100 tree 940400/- maintenance for 10 : Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 1203320/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 15 Mar 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 15 Mar 2019 On Transaction Date : 25 Mar 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31115121217NJS6npvden min.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.as pid=ROAD257662017277)
3 FP/UK/ROAD/10805/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10805/2015) SUBMERGANS TO CHICHRAD GAON	ROAD108052015655	6110805655	11 Nov 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 51509/-, strip plantation 417827/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- strip plantation 0/- Total : 469336/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Aug 2018 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 13 Dec 2018 On Transaction Date : 19 Dec 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/8112412321215X62W2pdf.pi Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx? pid=ROAD108052015655)
4 FP/UK/ROAD/11483/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11483/2015) Panjtilani to Sainj MR	ROAD114832015429	113114832015429	13 Dec 2016	CA: 459452/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 655358/-, stripe plantation : 1381248/- tripe plantation : 0/- tripe plantation : 0/- tripe plantation : 0/- Total : 2496058/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 24 Mar 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 24 Mar 2017 On Transaction Date : 04 Nov 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311231212121VXN2Ypdf.pdf Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx? pid=ROAD114832015429)





dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली. फॉक्स नं० 01360 275079

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
पत्रांक-2658/12-1 दिनांक, चकराता 27 - जनवरी 2020

सेवा में,

विषय-

सदम -

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जनपद देहरादून में ग्राम-प्लान से ग्राम-विहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 हे० वन
भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

आपका पत्रांक-1183 दि० 31.10.2018

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरापित शर्तों की अनुपालन आदेश
निम्नानुसार प्रेषित है।

1-प्रयावृत्ता अभिकरण द्वारा 2.271 हे० सिविल भूमि के बदल 4543 हे० ग्राम-विहार की सिविल ग्रायम भूमि का
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है तथा क्षतिपूर्क वृक्षा का यथावित वृक्षारोपण एवं
10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रु० 12.65.696.00 मात्र (रु० बारह लाख पैंसठ हजार छः सौ छियानवें मात्र) की
धनराशि एड-हॉक कॅम्पा के खाते में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

2-प्रयावृत्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गए
आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का अनुपालन किया जायेगा। एन०पी०वी० की धनराशि
रु० 492.047.00 मात्र (रु० चौदह लाख पचानवें हजार सैताहीस मात्र) की धनराशि एड-हॉक कॅम्पा के खाते में
जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

3-शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार प्रयावृत्ता अभिकरण द्वारा धनराशि
जमा की जायेगी।

4-क्र०स०-1 व 2 के अनुसार एड-हॉक कॅम्पा के खाते में धनराशि ऑनलाईन जमा कर दी गई है।

5-सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge जहाँ पर प्रयावृत्ता
अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation करने हेतु व्यवस्था है।

6-District profile detail को ऑनलाईन Portal में यथास्थान पर Upload किया गया है।

7-प्रयावृत्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की प्रतियां (भाग-1 से भाग-5) दि० 05.02.2018 का अपने कार्यालय में
उपलब्ध करा दी गई है।

8-विषय रिफरेंस मैप व क्षतिपूर्क वनाकरण का प्राक्कलन प्रातिहस्ताक्षर कर भाग-1 व भाग-2 में यथास्थान
अपलोड कर दिया गया है।

संदर्भित पत्र में वर्णित संश्लिष्ट शर्तों का प्रयावृत्ता अभिकरण द्वारा अक्षरानुपालन किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में सिविल स्वीकृति करने हेतु अग्रगण्य कार्यवाही करने
कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

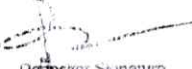
(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी

चकराता वन प्रभाग, चकराता।

10/3/24, 11:56

संलग्न-04

AGENCY COPY	
	
Challan for collection of CAMPA fund Date : 03-10-2024	
Client Code.	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	6111435184
MoEP/SC/ File No.	8B/UCP/06/54/2016/FC
Address.	Executive Engineer, ty. division, PWD, Sahiyas Dehradun Dehradun
Remitter Contact No.	cepwdsahiyaskals@gmail.com
Email Id.	9456745631
Mobile No.	1360-274595
Landline No.	
Amount (in Rs.)	791288/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jeevita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
Amount in Words: Seven Lakh Ninety-One Thousand Two Hundred and Eighty-Eight Rupees Only	
 Depositor Signature (Signature)	Bank Official (Signature)
Bank Transaction Number	Branch Stamp
• Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction • Challan should only be accepted against PIS/PM • Enter the Remitter Name in Additional Information 1 • Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2	

सत्यापित छायाप्रति

 सहायक अभियन्ता
 अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.0
 साहिया (देहरादून)

After making successful payment, User Agencies n

 Note: After making the required payment through cl
 even after 7 working days, then kindly mail a copy
 to Email: fcsbl@unionbankofindia.bank, epurs


प्रारूप-51

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया

प्रारूप-34

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.271 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया